



**उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U. P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या—2053—अ0प्र0—07 / पाकालि / 21—06—अ0प्र0—07 / 11

दिनांक 30/06/2021

**कार्यालय ज्ञाप**

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 8.56% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) से सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 10.03.2021 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरणों में से, श्री धनवेन्द्र सिंह (व0क्र0—2012/CEH/51), अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण को कार्यालय ज्ञाप सं0—10352/प्र0नि0/आ0/अनु0का0/अ0आ0—2/एस—146, दिनांक 25.06.21 द्वारा “निन्दा प्रविष्टि” एवं “असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड” प्रदान करते हुए प्रचलित प्रकरण समाप्त किये जाने की प्राप्त सूचना के दृष्टिगत इनका मोहरबन्द लिफाफा दिनांक 30.06.2021 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में खोलकर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा निम्नवत तालिका के स्तम्भ—4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :—

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम गृह जनपद/जन्मतिथि/वरिंक्र0	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
1	श्री धनवेन्द्र सिंह/श्री सिद्ध नारायण यादव एटा/ 20.07.1979/ 2012/CEH/51	वि0न0वि0 खं0, द्वितीय, अलीगढ़	दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0	2020400

2. इस आदेश द्वारा प्रोन्नत किये जा रहे अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर एकल पारस्परिक वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2020—21 में सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिकेतियों के विरुद्ध चयनित होने वाले सहायक अभियन्ताओं के साथ ‘Amalgamate’ करते हुए घोषित की जायेगी।
3. परिषदादेश सं0—1849—काविनी/राविपि—29/97—14—काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर—7(ग) में निहित प्राविधानानुसार श्री धनवेन्द्र सिंह (व0क्र0—2012/CEH/51) को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री मुकेश कुमार सिंह (वरिंक्र0—2012/CEH/53) की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश सं0—955—अ0प्र0—07, दिनांक 17.03.2021 के निर्गमन की तिथि अर्थात 17.03.2021 से प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
4. उपरोक्त प्रोन्नत कार्यिक पूर्व परिषदादेश सं0—485—ए—आर/राविपि—01—28—एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
5. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :—
  - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
  - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
  - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध यदि कोई विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

- (घ) यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से मिल्न है, उस दशा में काठगाड़ी में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उददेश्य के लिए मान्य होगा।
6. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उक्त अभियन्ता, इस आदेश के निर्गत होने से **एक माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
  7. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त अभियन्ता की तैनाती उम्प्र०पा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
  8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उम्प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाक्षण प्रस्तुत कर चुका हो।


#### प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-2053-अ०प्र०-०७/पाकालि/2021/तददिनांक (30.06.2021)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उम्प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (काठगाड़ी एवं प्रशासा), उम्प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उम्प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उम्प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उम्प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-201-अनु०-01/सहा०अभि०(पदो०), दिनांक 02.03.2021 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
7. उप सचिव (अ०प्र०-03/04/गोपन), उम्प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उम्प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उम्प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अनुभाग अधिकारी (अ०प्र०-03/04), उम्प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
11. उपरोक्त संबंधित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (03/04), उम्प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (ds0304uppcl@gmail.com / uppcljs02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उम्प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार (vetanlekha@gmail.com) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. पत्रावली सं-25-अ०प्र०-०७/२०
13. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

  
 (राजेन्द्र कुमार वर्मा)  
 उप सचिव (07)  
